न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : बृजमोहन नोगिया, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 06/2019

अपीलांट

1. फौजा पुत्र हंजीया उम्र 60 वर्ष,
2. रीढमा पुत्र हंजीया उम्र 55 वर्ष, जातियान भील, निवासी आलवाडा, तहसील सायला, जिला जालोर।

बनाम

रेस्पोडेन्ट

1. हीरा पुत्र हाटा, जाति कलबी, निवासी आलवाडा, तहसील सायला
2. सीता पुत्री दाना जाति मेघवाल निवासी आलवाडा
3. तलसा पुत्र गजा
4. जूठा पुत्र गजा
5. लच्छाराम पुत्र छोगा
6. चौथाराम पुत्र छोगा
7. केवदा राम पुत्र छोगा, कौम तमाम कलबी, साकिन तमाम आलवाडा
8. हरिया राम पुत्र मांगाराम
9. धनाराम पुत्र मांगाराम
10. पवनी दवी पत्नी मोमताराम
11. सुबटी पत्नी जोईता
12. आसिया पुत्र जोईता
13. रमेश पुत्र पांचा
14. कृष्ण पुत्र पांचा
15. मसरा पुत्र हंजीया कौम तमाम भील, निवासीगण आलवाडा, तहसील सायला, जिला जालोर।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–
श्री सतपाल पुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स
श्री अशोक कुमार, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01
श्री दिलीप कुमार पुरोहित अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 11
शेष रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांकः– 16-1-2020

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखंड अधिकारी सायला द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 15/2017 में पारित आदेश दिनांक 14.02.2019 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 02 से 10 व 12 से 15 बावजूद सूचना अनुपस्थित। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी आराजी सरहद मौजा आलवाडा के खसरा नंबर 341 रकबा 9.3700 हैक्टेर किस्म बारानी प्रथम व चाही सोयम, खसरा नंबर 787 रकबा 2.5400 हैक्टेर किस्म चाही सोयम व बारानी दोयम में आने जाने हेतु हेतु खसरा नंबर 929/419, 420, 424, 421, 423, 370, 372, 373, 347, 348 व 340 मे से 20 फीट चौडा रास्ता प्रदान कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया। रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा में लाल रंग से रास्ता दर्शाया है एवं साथ ही यह कथन किया कि उक्त रास्ता मौके पर इसी अनुसार चल रहा है तथा प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण आवागमन हेतु इसी रास्ते का उपयोग–उपभोग करते है। किन्तु यदि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के कथन अनुसार रास्ता चालु अवस्था मे था एवं अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 02 लगायत 15 द्वारा बंद किया होता तो रेस्पोडेन्ट संख्या 01 उक्त रास्ते को खुलवाने हेतु धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत ग्राम पंचायत या तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना था। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट ने अपना जवाब प्रस्तुत किया उस वक्त न्यायालय के समक्ष स्वतंत्र मौका कमिश्नर से रास्ते बाबत जांच करवाने का निवेदन किया, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस पर विचार नहीं किया। इसके अतिरिक्त सरहद मौजा खेतलावास की सीमा में रेस्पोडेन्ट की खातेदारी भूमि से कुछ दूरी पर डामर की सडक मौके पर चल रही है जिससे रेस्पोडेन्ट संख्या 01 अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन कर सकता है। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के पास वैकल्पिक रास्ता मौजूद होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश के जरिये अपीलांट की खातेदारी भूमि में से रास्ता दिये जाने का आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त रास्ते के संबध में मौका रिपोर्ट तहसीलदार सायला से मंगवाई गई, उक्त मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का व भू–अभिलेख द्वारा बिना मौका की जांच किये, बिना अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 02 से 15 को सूचना दिये तैयार की गई, जबकि कानूनन समस्त पक्षकारो की मौजूदगी में मौका रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिये, किन्तु उक्त मौका रिपोर्ट अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 02 लगायत 15 की अनुपस्थिति में बिना मौका का निरीक्षण किये बनाई गई। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त एकतरफा मौका रिपोर्ट के आधार पर जैर अपील आदेश पारित किया है, जो कि विधिसम्मत नहीं है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त किया जाकर पत्रावली रिमांड फरमाई जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी आराजी सरहद मौजा आलवाडा के खसरा नंबर 341 रकबा 9.3700 हैक्टेर किस्म बारानी प्रथम व चाही सोयम, खसरा नंबर 787 रकबा 2.5400 हैक्टेर किस्म चाही सोयम व बारानी दोयम में आने जाने हेतु हेतु खसरा नंबर 929/419, 420, 424, 421, 423, 370, 372, 373, 347, 348 व 340 मे से 20 फीट चौडा रास्ता प्रदान कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये, जो अप्रार्थीगण द्वारा लेने से इंकार की रिपोर्ट के साथ प्राप्त हुए, उसके पश्चात दिनांक 17.01.2019 को अप्रार्थीगण संख्या 11, 12, 16, 17, 18 की ओर से वकील श्री नरपतदान चारण द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत कर जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, उसके पश्चात पत्रावली शेष प्रतिवादीगण के जवाब हेतु दिनांक 31.01.2019 नियत की गई। उसके पश्चात दिनांक 31.01.2019 को उक्त पक्षकारान द्वारा जवाब पेश नहीं किये जाने के पश्चात जवाब बंद किया जाकर पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 11.02.2019 नियत की गई। जिससे यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट एवं अन्य पक्षकारान को सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया गया, किन्तु उसके बावजूद न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। इसके अतिरिक्त तहसीलदार सायला द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के बिन्दु संख्या 2 के अन्तर्गत "यह है कि खातेदार द्वारा प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है" का अंकन है। इसी प्रकार बिन्दु संख्या 1 के अन्तर्गत "यह केवल सुविधा जनक के लिये नहीं है इस रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है।" का अंकन है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त मौका रिपोर्ट के आधार पर समस्त पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि पूर्णतया विधिसम्मत है। अत अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी आराजी सरहद मौजा आलवाडा के खसरा नंबर 341 रकबा 9.3700 हैक्टेर किस्म बारानी प्रथम व चाही सोयम, खसरा नंबर 787 रकबा 2.5400 हैक्टेर किस्म चाही सोयम व बारानी दोयम में आने जाने हेतु हेतु खसरा नंबर 929/419, 420, 424, 421, 423, 370, 372, 373, 347, 348 व 340 मे से 20 फीट चौडा रास्ता प्रदान कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

पारित किया। हस्तगत प्रकरण में अपीलांट ने सर्वप्रथम बिन्दु यह उठाया है कि अपीलांट को सुनवाई का पूर्णतया अवसर प्रदान नहीं किया गया, इस संबध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये, जो अप्रार्थीगण द्वारा लेने से इंकार की रिपोर्ट के साथ प्राप्त हुए, उसके पश्चात दिनांक 17.01.2019 को अप्रार्थीगण संख्या 11, 12, 16, 17, 18 की ओर से वकील श्री नरपतदान चारण द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत कर जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, उसके पश्चात पत्रावली शेष प्रतिवादीगण के जवाब हेतु दिनांक 31.01.2019 नियत की गई। उसके पश्चात दिनांक 31.01.2019 को उक्त पक्षकारान द्वारा जवाब पेश नहीं किये जाने के पश्चात जवाब बंद किया जाकर पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 11.02.2019 नियत की गई। जिससे यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट एवं अन्य पक्षकारान को सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया गया, किन्तु उसके बावजूद न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर तहसीलदार सायला से वादग्रस्त आराजी के संबध मे मौका रिपोर्ट तलब की गई। जिसकी अनुपालना में तहसीलदार सायला द्वारा अपने पत्र क्रमांक/राज/18/470 दिनांक 26.04.2018 द्वारा जां. रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की, उनमें आवेदक की खातेदारी भूमि में आवागमन के मार्ग तथा वैकल्पिक मार्ग का अभाव पाया गया तथा रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता सिद्ध हुई है। हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार द्वारा अपनी रिपोर्ट में मौके पर मार्ग उपलब्ध नहीं होना जाहिर किया है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश के जरिये रास्ता प्रदान करने का अनुतोष दिया गया है, जो विधि सम्मत है। इस धारा में "absolute necessary" एवं "absence of alternative means of access is proved" ही वह कसौटी है, जिस पर खरा उतरने पर ही नये रास्ते की कायम के आदेश दिये जाना युक्तियुक्त एवं न्यायसम्मत होंगे। इसका तात्पर्य यह है कि खातेदारी में पहुंचने के लिये कहीं कोई रास्ता उपलब्ध न होना। धारा 251ए सुविधाजनक रास्ते को कायम करने का प्रावधान नहीं करती है। हस्तगत प्रकरण में रास्ते का अभाव एवं वैकल्पिक मार्ग का अभाव सिद्ध हुआ है, जिसे दृष्टिगत रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया है, जिसमें हमें किसी प्रकार की त्रुटी प्रतीत नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है तथा उपखंड अधिकारी सायला द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 15/2017 में पारित आदेश दिनांक 14.02.2019 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

06/2019

फौजा वगैरह बनाम हीरा वगैरह

पेज संख्या 5/5

निर्णय आज दिनांक 16/01/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजमोहन नोगिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली